सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —भागीरथराम आर.ए.एस.)

अपील संख्याः—02/2017 दर्ज तिथिः—07.03.2017

1. चैनाराम पुत्र भूराराम(माता हीरां पुत्री लाधा) फौत के कायम मुकाम वारिशान
   1/1 सांवलाराम पुत्र चैनाराम
   1/2 पीराराम पुत्र चैनाराम
   1/3 सुनिता पुत्री चैनाराम
   1/4 मनीषा पुत्री चैनाराम
   अपीलान्ट 1/1 से 1/4 नाबालिग की कुदरती वली माता मांगी देवी पत्नी चैनाराम अपीलान्ट संख्या 1/5
   1/5 मांगी देवी पत्नी चैनाराम
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र भूराराम (माता हीरां पुत्री लाधा)
3. सायती पुत्री भूराराम (माता हीरां पुत्री लाधा)
4. जेती पुत्री भूराराम (माता हीरां पुत्री लाधा)
   जाति देवासी निवासी राईकों की ढाणी,पटवार क्षेत्र कगाउ, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.....अपीलार्थी

बनाम

1. ग्राम पंचायत मेहलू जरिये सरपंच ग्राम पंचायत मेहलू तहसील धोरीमना
2. पारू पत्नी लाधाराम
3. मेहन्दा पुत्र जुगताराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 बाबूलाल पुत्र महेन्द्राराम
   3/2 रूपाराम पुत्र महेन्द्राराम
   3/3 बांकाराम पुत्र महेन्द्राराम
   3/4 आसुराम पुत्र महेन्द्राराम
   3/5 रामाराम पुत्र महेन्द्राराम
   3/6 शान्तीदेवी पुत्री महेन्द्राराम
   3/7 वगतूदेवी पत्नी महेन्द्राराम
4. मुकाराम पुत्र जुगताराम
5. निम्बाराम पुत्र जेठाराम
6. पैलाद पुत्र जेठाराम
7. हेमाराम पुत्र कालूराम
8. चतराराम पुत्र कालूराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाडमेर

9. तेजाराम पुत्र कालूराम
10. मालू पत्नी कालूराम
11. अमराराम पुत्र जगुराम
12. दीपाराम पुत्र जगुराम
13. किशनाराम पुत्र तगाराम
14. मूलाराम पुत्र तगाराम
15. नारणाराम पुत्र तगाराम
16. कबू पत्नी तगाराम उतरदाता संख्या 15 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कबू पत्नी तगाराम उतरदाता संख्या 16
    जातियान राईका निवासी राईकों की ढाणी,पटवार क्षेत्र कगाउ तहसील बाड़मेर जिला बाडमेर
17. तहसीलदार धोरीमन्ना
18. रायमलराम पुत्र मुकनाराम
    जाति राईका निवासी राईकों की ढाणी,कगाउ तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर

..................असल प्रत्यर्थी

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः—श्री देवाराम चौधरी
प्रत्यर्थीः—श्री रिड़मलराम(2)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—75
राज.भू—राजस्वअधिनियम—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—08.07.2025

1. आज यह पत्रावली अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। अपील में सर्वप्रथम अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलमीमों में निहित विवाद की मुख्य विषयवस्तु का सूक्ष्मतः व सारतःविवरणइस प्रकार से हैः—
    - कि अपीलान्टगण एवं उतरदाता संख्या 2 से 16 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी अधिकारों व पीढियों के कब्जे काश्त की भूमि राजस्व ग्राम रामनगर पटवार क्षेत्र मेहलू तहसील धोरीमना में खेत खसरा संख्या 19 रकबा 105—02 बीघा भूमि आई हुई है जिसमें अपीलान्टगण के नाना व उतरदाता संख्या 2 के पति लाधा उर्फ लाधु का 1/8 हिस्सा खातेदारी का था।
    - कि अपीलान्टगण के नाना लाधा का स्वर्गवास दिनांक 21.02.2016 को हो गया तथा लाधा के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 को ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदाता संख्या 2 ने उतरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक लाधा के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 2 को बताकर नामान्तकरण उतरदाता संख्या 2 अकेली के [illegible] तथा हल्का पटवारी द्वारा नामान्तकरण की कार्यवाही खोलते [illegible] अपीलान्टगण का नाम साथ में

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाडमेर

अंकित नहीं किया जबकि मृतक लाधा उतरदाता संख्या 2 का पति व अपीलान्टगण के नाना (माता हीरों के पिता) थे ।

- कि स्वर्गीय लाधाराम उर्फ लाधूराम फौत हो गए है। लाधाराम ने अपने जीवनकाल में 2 शादियां की थी जिसमें प्रथम पत्नी लाछी थी,लाछी से एक संतान अपीलान्ट की माता हीरों देवी पैदा हुई। लाछी की मृत्यु के पश्चात लाधा ने उतरदाता 2 पारू से विवाह किया था परन्तु पारू के कोई संतान नहीं हुई थी। लाधा की प्रथम पत्नी लाछी की जाइन्दा पुत्री हीरों अपीलान्टगण की माता थी। जिनका देहान्त लाधा से पूर्व हो गया था। जिस कारण अपीलान्टगण मृतक हीरों के पुत्र व पुत्रियां है।
- इस प्रकार लाधा की मृत्यु के हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी के वारिश अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 2 है।
- कि उक्त खानदानी सजरा को ध्यान में रखे बिना उतरादाता संख्या 1 ने लाधा के फौत होने पर अपीलान्टगण लाधा की प्रथम पंक्ति से जाईन्दा पुत्री हीरों के पुत्र व पुत्री होने पर भी उनका नामा फौतगी म्युटेशन में दर्ज नहीं करने की भारी भूल की है। जो म्युटेशन आदेश निरस्त करने के काबिल है।
- कि ग्राम रामनगर पटवार मण्डल मेहलू के खेत खसरा संख्या 19 रकबा 105–02 बीघा में अपीलान्टगण के नाना व उतरदाता संख्या 2 के पति लाधाराम का 1/8 हिस्सा खातेदारी का था जिसे वादग्रस्त भूमि में लाधाराम के 1/8 हिस्से में अपीलान्टगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण रकबे का 1/16 वां हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 2 का 1/8 हिस्से में से 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण रकबे में 1/16 हिस्सा खातेदारी अधिकारों का है। इसी अनुसार नामान्तकरण किया जाना था।
- कि नामांतकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 ग्राम पंचायत मेहलू को कानूनन हक के विपरीत होने व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन किये जाने के कारण निरस्त करते हुए उक्त आराजी में उतरदातागण का हिस्सा दर्ज करने का आदेश देते हुए पुनः नामांतकरण दर्ज करने का आदेश जारी कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।
- दौराने अपील उतरदाता संख्या 2 ने वादग्रस्त आराजी को रायमल पुत्र मुकना जाति राईका निवासी राईको की ढाणी कगाउ को दिनांक 24.04.2017 को दान कर दी। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा 13.08.2024 को दान ग्राहिता रायमलराम को पक्षकार संख्या 18 बनाया गया।
- कि अपीलान्टगण द्वारा अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया व अपील में हुए विलम्ब को म्याद में शुमार करने का निवेदन किया ।

2. अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 3 से 16 के नोटिस विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 व 18 विधिवत तामील मय वकुलाय उपस्थित न्यायालय हुए। अपील का खंडन करते हुए निम्न प्रकार निवेदन किया:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना,बाड़मेर

- कि अपीलान्टगण की माता हीरों का उक्त विवादित आराजी में कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त खेत में उतरदातागण का ही कब्जा काश्त है। पटवारी ने म्युटेशन की कार्यवाही विधिसम्मत की है। मृतक लाधा के विधिक उतराधिकार घोषित करने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय सीविल न्यायालय को है। उतराधिकार प्रमाण पत्र के अभाव में विधिक वारिश की हैसियत से अपील पेश नहीं की जा सकती है।
- कि उतरदाता संख्या 1 द्वारा उतरदाता संख्या 2 के पक्ष में पारित नामान्तकरण संख्या 175 जो कि सही पारित किया गया है।
- कि अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत खानदानी सजरा गलत पेश किया है।
- अपीलान्टगण अपने को लाधा का दोहिता बनकर हक हिस्सा मांग रहे है जबकि दोहिता का हक हिस्सा अपने नाना की संपती में नहीं होता है।
- कि उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में लाधाराम के नाम से दर्ज है तथा हीरों देवी अपने विवाह के बाद से अपने ससुराल बलाउ में ही अपना जीवन यापन करती थी। तथा उतरदाता संख्या 2 व 18 ने लाधाराम की सेवा चाकरी की थी। लाधुराम का रहवास रायमलराम के साथ ही रहा है। लाधाराम ने रायमलराम की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर ही अपने खातेदारी खेतों का दानपत्र दिनांक 14.01.2015 को कर दिया था।
- कि अपीलान्टगण की अपील सारहीन होने से खारीज फरमावें।

3. प्रकरण में वकील अपीलार्थी की बहस सुनी गई। म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सर्वप्रथम निर्णित किया जाना उचित समझते है। म्याद अधिनियम पर अपीलान्टगण अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्टगण को विवादित नामान्तकरण की जानकारी हल्का पटवारी मेहलू से दिनांक 15.02.2017 को हुई थी। इस पर अपीलान्टगण द्वारा हल्का पटवारी से नामान्तकरण व जमाबंदी नक्ल प्राप्त कर दिनांक 07.03.2017 को अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई जो कि अन्दर म्याद है। म्याद अवधि का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को म्याद में शुमार करने का आदेश प्रदान करवाने का निवेदन किया गया। उतरदाता के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि म्याद प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से खारिज किया जावें। अपीलान्टगण को अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी प्रारंभ से ही थी क्यों कि अपीलान्टगण की सहमति से आलौच्य नामान्तकरण पारित किया गया था। विलम्ब को उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अपीलान्टगण स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आए है।अपीलान्टगण की अपील म्याद बाद होने से खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का गहनता से अध्ययन व अवलोकिन किया। म्याद अधिनियम प्रार्थना पत्र अनुसार अपीलार्थी द्वारा दिनांक 15.02.2017 को नामान्तकरण नकल हल्का पटवारी मेहलू से प्राप्त कर दिनांक 07.03.20217 को अपील न्यायालय हाजा में पेश कर दी गई है इसलिए म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को म्याद में शुमार की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

5. दौराने बहस अपीलान्टगण ने अपील में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्टगण जो कि लाधाराम की पुत्री हीरों के पुत्र है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की अनुसूची 1 में वर्णित पूर्वमृत पुत्री के पुत्र व पुत्री प्रथम श्रेणी के वारिश है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में अपीलान्टगण लाधाराम के विधिक वारिशान होने से अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। उतरदातागण के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलान्टगण की अपील सारहीन होने से खारिज की जावें। भूमि का दान/बक्सीश दिनांक 14.01.2015 को की गई है। पुत्री का पिता की खातेदारी में कोई हक नहीं होता है। दोहितों का हक नाना की जमीन में नहीं होता है। पुत्री हीरों का लाधा की पुत्री होने का उतराधिकारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए बगैर हिस्सा घोषित नहीं किया जा सकता है।

6. हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7. विधि का अवलोकन करना उचित समझते है। कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 पुरूष की दशा में उतराधिकार के साधारण नियम— निर्वसीयत मरने वाले हिन्दु पुरूष को संपति इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निम्नलिखित को न्यायगत होगी—

(क) प्रथमतः,उन वारिशों को जो अनुसूची के वर्ग 1 में विनिर्दिष्ट संबंधी हैं
(ख) द्वितीयतः, यदि वर्ग 1 में वारिश न हो तो उन वारिसों को जो अनुसूची के वर्ग 2 में विनिर्दिष्ट सम्बन्धी है।
(ग) तृतीयतः, यदि दोनों वर्गों में से किसी में कां कोई वारिश न हो तो मृतक के गोत्रजों को तथा
(घ)अन्ततः, यदि कोई गोत्रज न हो तो मृतक के बन्धुओं को।

अनुसूची
(धारा 8 देखिए)
वर्ग 1

पुत्र,पुत्री,विधवा,माता,पूर्वमृत पुत्र का पुत्र ,पुर्वमृत पुत्र की पुत्री,पूर्वमृत पुत्री का पुत्र,पूर्वमृत पुत्री की पुत्री,पूर्वमृत पुत्र की विधवा,पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्र , पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र का पुत्री, पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा,(पूर्वमृत पुत्री की पूर्वमृत पुत्री का पुत्र, पूर्वमृत पुत्री की पूर्वमृत पुत्री की पुत्री, पूर्वमृत पुत्री के पूर्वमृत पुत्र की पुत्री, पूर्वमृत पुत्र,पुत्री की पुत्री)

अतः प्रकरण के अध्ययन से नामान्तकरण संख्या 175 में लाधा के स्थान पर उनकी पत्नी पारू का नाम दर्ज किया गया था जबकि ग्राम राईकों की ढाणी के नामान्तकरण संख्या 245 में लाधाराम के फौत के स्थान पर पारू पत्नी लाधाराम,चैनाराम,सुरेन्द्र पिता भूराराम,सांयती,जेती पुत्री भूराराम दर्ज किया गया है।

लाधाराम के विधिक वारिसान निम्नानुसार है—

क्र.स.	वारिस का नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना, बाड़मेर

1.	पारूदेवी	पत्नी(विधवा)
2.	चैनाराम	पूर्वमृत पुत्री का पुत्र
3.	सुरेन्द्र कुमार	पूर्वमृत पुत्री का पुत्र
4.	सांयती	पूर्वमृत पुत्री की पुत्री
5.	जैती	पूर्वमृत पुत्री की पुत्री

8. प्रकरण में राजस्व ग्राम रामनगर पटवार हल्का मेहलू के खेत खसरा संख्या 19 रकबा 105–02 बीघा में लाधाराम का 1/8 हिस्सा निहित था तथा लाधाराम की मृत्यु दिनांक 21.02.2016 को होने पर ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा लाधा की फौतगी का नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 को उतरदाता संख्या 2 पारू पत्नी लाधा के पक्ष में पारित किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज ग्राम राईकों की ढाणी पटवार क्षेत्र कगाउ जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 499/296 किस्म बा.दो. में पारित नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 05.12.2016 की स्वीकृति अनुसार लाधा उर्फ लाधू फौत होने पर उनके वारिशान पारूदेवी पत्नी लाधुराम ,चैनाराम,सुरेन्द्र कुमार पिता भूराराम,सांयती ,जैती पुत्रियां भूराराम के नाम अमल दरामद किया गया है। तथा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार लाछी देवी पत्नी लाधुराम की मृत्यु दिनांक 15.03.1973 को तथा हीरों देवी माता लाछी देवी पति भूराराम पुत्री लाधाराम की मृत्यु दिनांक 02.05.1997 को होने के संबंध मे संलग्न है। साथ ही यह स्पष्ट अभिमत है कि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची 8 के तहत वर्ग 1 के वारिश पूर्वमृत पुत्री का पुत्र व पुत्री होना उल्लेखित है। अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की अनुसूची 8 के तहत लाधा की मृत्यु होने पर उनकी पुत्री हीरों की मृत्यु उपरान्त उनके वर्ग 1 के वारिशान पूर्वमृत पुत्री के पुत्र व पुत्री होने के बावजूद ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा लाधा के विधिक वारिशान की जांच किये बिना नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 को पारित किया गया जो कि विधि विरूद्व होना साबित है। साथ ही ग्राम पंचायत कगाउ द्वारा पारित नामान्तकरण संख्या 245 दिनांक 05.12.2016 के अनुसार ग्राम पंचायत मेहलु को लाधा के विधिक वारिशान का नामान्तकरण भरा जाना था । अतः हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत हीरों के पुत्र व पुत्रियों का वर्ग 1 श्रेणी के वारिशान होने की दशा में ग्राम रामनगर पटवार मण्डल मेहलू के खेत खसरा संख्या 19 रकबा 105–02 बीघा में अपीलान्टगण के नाना व उतरदाता संख्या 2 के पति लाधाराम का 1/8 हिस्सा खातेदारी का था जिसे वादग्रस्त भूमि में लाधाराम के 1/8 हिस्से में अपीलान्टगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण रकबे का 1/16 वां हिस्सा व उतरदाता संख्या 2 पारू का कुल रकबे में 1/16 वां हिस्सा निहित था। तथा उतरदाता संख्या 2 ने अपने पक्ष में नामान्तकरण दर्ज होते ही अपने 1/8 यानि सम्पूर्ण हिस्सा उतरदाता संख्या 18 को दौराने अपील अन्तरण कर दिया जो कि विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलान्टगण की अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 175 को व उसके बाद अंतरण का नामान्तकरण निरस्त किया जाना उचित समझते हैं। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 जो ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा पारित किया के विरूद्ध अपील भलीभांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्टगण की खातेदारी आराजी पटवार क्षेत्रफल मेहलू तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर के मौजा रामनगर के खसरा नम्बर 19 रकबा 105–02 बीघा किस्म बा.सो. में ग्राम पंचायत मेहलू द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 21.03.2016 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त नामान्तरकरण निरस्त करने के बाद पुनः दर्ज कर अपीलान्टगण का लाधाराम के 1/8 हिस्से में अपीलान्टगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण रकबे में 1/16 वां हिस्सा तथा उतरदाता संख्या 02 द्वारा अपना हिस्सा अन्तरण करने से वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज उतरदाता संख्या 18 रायमलराम का संपूर्ण रकबे में 1/16 वां हिस्सा का नामान्तकरण व राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उतरदाता संख्या 2 द्वारा अपीलान्टगण के हक हिस्से से अधिक अंतरण को शुन्य मानते हुए अपीलान्टगण का सम्पुर्ण आराजी में 1/16 हिस्सा दर्ज करने का आदेश दिया जाकर पुनः नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करावें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

08/7/2025

(भागीरथराम आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.09.29 14:10:48 IST
Reason: SelfAttested